(22) (127)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3252–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–07–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सभांग सतना का प्रकरण 1144/अपील/ 2011–12

रामभूषण तनय कमला प्रसाद ब्रा.
साकिन नरसिंह तहसील रामपुर बाघेलान
जिला सतना म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

अंजू तिवारी पत्नी नारायण प्रसाद तिवारी
निवासी ग्राम महुरछ कदैला तहसील
रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

.....अनावेदक

श्री राकेश मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री विपिन त्रिपाठी, अभिभाषक, अनावेदक

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 28/01/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा सभांग रीवा के आदेश दिनांक 08–07–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार रामपुर बाघेलान के रा.प्र.क. 23/अ6/06–07 में पारित आदेश दिनांक 06–12–07 एवं संलग्न प्रकरण 140/अपील/09–10 के साथ पंजी कं. 02 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान जिला सतना के समक्ष अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक

26–06–2012 से अपील स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने दिनांक 08–07–2013 को आदेश पारित कर आवेदक की अपील खारिज की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में आवेदक ने मात्र मृतक लक्ष्मी बाई को इपक्षकार बनाकर वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। मूल वसीयत भी विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। तहसीलदार ने वसीयत के आधार पर नामांतरण किया है। वसीयत के आधार पर तब तक नामांतरण स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वसीयत को साक्ष्यों से सिद्ध न कर दिया गया हो। अनुविभागीय अधिकारी ने वसीयत को प्रमाणित नहीं पाया है क्योंकि वसीयत साक्ष्यों से सत्य सिद्ध नहीं हुई। अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित माना है कि वसीयत साक्ष्यों से सिद्ध नहीं की गई है इसी कारण अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त की गई है। इस न्यायालय में आवेदक ने ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया जिससे आवेदक के आधारों को बल मिलता हो। दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 08–7–2013 स्थिर रखा जाता है।

28/01/2019.

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर